

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।
चालानी वाद संख्या- 1958/2026
राज्य
बनाम
जितेन्द्र

दिनांक:- 02-04-2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी जितेन्द्र पुत्र चन्द्रपाल सिंह की ओर से अपराध संख्या- यू0 पी0 166427251005105305 अलीगंज एटा के प्रकरण में स्वेच्छा जुर्म स्वीकारोक्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त ने स्वेच्छया से अपना जुर्म स्वीकार किया है। प्रश्रुत वाहन से सम्बन्धित प्रपत्रों व चालान को प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा अवलोकन किया।

प्रार्थी/ अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र चन्द्रपाल सिंह को स्वेच्छया जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अन्तर्गत धारा- 192 एम0 वी0 एक्ट में मुवलिग - 2000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे उक्त अपराध में तीन दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(विमलेश सरोज)
J.O. Code 2379
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मैनपुरी